अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2025 / 225 रीवा दिनांक : 1-5-2025

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
डिजिटल कालेज आफ एजूकेशन
कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2024–2025 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27–11–2024 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण के आइटम क्रमांक 5(04) की अनुशंसा एवं माननीय कुलगुरु जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2024–2025 कक्षा / विषयों में अस्थायी सम्बद्वता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा / विषय
1	बी.काम. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष प्लेन / कम्प्यूटर एप्लीकेशन–100–100सीट।
2	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय–100सीट।
3	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र–60सीट।
4	एलएल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम, द्वितीय वर्ष–60सीट।

नोट –

1. NEP के तहत पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में वृद्धि करें।
2. कम्प्यूटर की संख्या में वृद्धि करें।
3. BCI द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विधि विषय के प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की नियुक्ति कालेज कोड 28 में करें।

उपर्युक्त शर्तो की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2025–2026 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
2. सहायक कुलसचिव–परीक्षा, गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलगुरु जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकारा)